



दिनांक: 16.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मात्र 05 घण्टे में गुमशुदा व्यक्ति को सकुशल बरामद
कर किया गया परिजनों के सुपुर्द

अवगत कराना है कि दिनांक 15.04.2024 को वादी अनीश पुत्र युनूस निवासी ग्राम घानाखण्डी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर की लिखित सूचना बाबत दिनांक 13.04.2025 को वादी का छोटा भाई बिना बताये घर से चले जाने व काफी खोजने पर भी नहीं मिलने की सूचना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गुमशुदगी दर्ज की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर गुमशुदा की तलाश हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में गुमशुदा व्यक्ति की तलाश हेतु थाना कोतवाली देहात पर तत्काल 03 टीमों का गठन किया गया, गठित सभी टीमों द्वारा आस-पास लगे सीसीटीवी की फुटेज चैक की गयी व सोशल मिडिया के माध्यम में गुमशुदा व्यक्ति की तलाश हेतु प्रचार प्रसार किया गया। त्वरित कार्यवाही करते हुए मात्र 05 घण्टे में क्रम में दिनांक 15.04.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा **अहसान उर्फ गुल्लू पुत्र युनूस निवासी घानाखण्डी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर उम्र 25 वर्ष** को लावरिस अवस्था में बेहट रोड पर घुमते हुए बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी है। आवश्यक विधिक कार्यवाही कर गुमशुदा अहसान को सकुशल उसके परिजनो के सुपुर्द किया गया।

गुमशुदा का नाम व पता:-

अहसान उर्फ गुल्लू पुत्र युनूस निवासी घानाखण्डी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर उम्र 25 वर्ष

बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रामवीर सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री राजकुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
4. है0का0 973 मोहित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 588आसिफ अली थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
6. का0 2255 सोनवीर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा बुलेट मोटर साईकिल से तेज आवाज में पटाखा

छुड़ाने वाले 04 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, बुलेट मोटरसाइकिल से तेज आवाज में पटाखा छुड़ाने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15.04.2025 को चैकिंग / गस्त के दौरान थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मल्हीपुर रोड पर दो बुलेट मोटर साईकिल पर सवार 04 व्यक्तियों द्वारा मोटर साईकिल से तेज आवाज में पटाखा छोड़ने तथा आस पास के व्यक्तियों द्वारा मना करने पर झगड़ा करने वाले 04 अभियुक्तगण .1आमिर पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम मोहनपुर गाडा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर .2सुफियान पुत्र अनीस निवासी मोहनपुर गाडा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर, 3. फारिक पुत्र जाकिर निवासी मोहनपुर गाडा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर, 4. शमशाद पुत्र सईद निवासी मोहनपुर गाडा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर को गस्त के दौरान थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा शान्ति भंग करने पर अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस मे गिरफ्तार किया गया। बरामद दोनो बुलेट मोटर साईकिल को एमवी एक्ट की धारा 207 मे सीज किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

- .1आमिर पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम मोहनपुर गाडा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
- .2सुफियान पुत्र अनीस निवासी मोहनपुर गाडा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
- .3फारिक पुत्र जाकिर निवासी मोहनपुर गाडा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
- .4शमशाद पुत्र सईद निवासी मोहनपुर गाडा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

सीज किये गये वाहनो का विवरण-

- बुलेट मोटर साईकिल रजि0 नं0 UP11CF5439
- बुलेट मोटर साईकिल रजि0 नं0 UP11AW6594

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री बलवीर सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 599 राजीव कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
3. है0का0 682 संदीप ढाका थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
4. का0 2106 लोकेन्द्र कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 15.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना देवबंद, पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में 01
वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 10.04.2025 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. गोविन्द पुत्र आभेराम, 2. आभेराम पुत्र नामालूम, 3. धर्मेन्द्र पुत्र नामालूम, 4. श्रीमति मिंटी पत्नि नामालूम व 5. सुरेश पुत्र नामालूम निवासीगण ग्राम थीथकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0- 188/25 धारा 137(2)बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **गोविन्द पुत्र आभेराम निवासी ग्राम थीथकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को देवबंद बस स्टैन्ड के पास से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) व 3/4 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

गोविन्द पुत्र आभेराम निवासी ग्राम थीथकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. का0 1969 साजिद थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. का0 2096 गौरव थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. म0का0 73 शिवानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 नशा

तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 210 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान **अभियुक्त शाहिद पुत्र शमशेर निवासी पेपर मिल रोड रविदास मन्दिर के पास थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को नागल रोड पर एलस्ट्रोन तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 210 ग्राम अवैध चरस बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 127/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त शाहिद उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं नशा करने का आदी हूँ और यह नशीला सामान मैंने एक अंजान आदमी से सस्ते दामों पर खरीदा था। इसमें से कुछ मैंने पी लिया और बचे हुए नशीले सामान को नशा करने वाले लोगो को बेच देता हूँ। इस काम में मुझे अच्छी कमाई हो जाती हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

शाहिद पुत्र शमशेर निवासी पेपर मिल रोड रविदास मन्दिर के पास थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

210 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 515 राहुल कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 1165 मोनू कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
5. का0 2059 रजत कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी
मोटरसाइकिल बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 07.04.2025 को वादी श्री मनोज कुमार पुत्र रामजीलाल निवासी इस्लामनगर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की अपाचे मोटरसाइकिल UP-11 BA-1304 सेंट्रल बैंक, अम्बाला रोड से चोरी कर ले जाने की सूचना पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 151/2025 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नकबजनी/वाहन चोरी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वाहन चोर/नकबजन/लुटेरे अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर वाहन चोर अभियुक्त फरमान उर्फ रेहलू पुत्र मोहम्मद उमर निवासी खानआलमपुरा बुंदू का चौक थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर को पथरिया पीर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी गयी अपाचे मोटरसाइकिल UP-11 BA-1304 बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभि0 फरमान से सख्ती से पूछताछ की गयी तो बताया यह मोटरसाइकिल हफ्ता 10 दिन पहले मैंने सेंट्रल बैंक सामने अंबाला रोड जनपद सहारनपुर से चोरी की थी और ग्राहक की तलाश में आज मैं इस मो0सा0 को कहीं बेचने के लिये ले जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

फरमान उर्फ रेहलू पुत्र मोहम्मद उमर निवासी खानआलमपुरा बुंदू का चौक थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

अभियुक्त फरमान का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 041/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना जनकपुरी स0पुर
2. मु0अ0सं0 094/2023 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना जनकपुरी स0पुर
3. मु0अ0सं0 254/17 धारा 147/323/34/354(ख)/427/452/506 भादवि थाना जनकपुरी स0पुर .
4. मु0अ0सं0 254/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना जनकपुरी स0पुर .

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 अपाचे मोटरसाइकिल (UP11BA1304) रंग सफेद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना सदर बाजार स0पुर
2. है0का0275 सचिन थाना सदर बाजार स0पुर
3. का0283 हिमांशु थाना सदर बाजार स0पुर
4. का01396 सहस्र कुमार थाना सदर बाजार स0पुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 13.05 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध नशे के कोरोबार की रोकथाम व इसमें शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.04.2025 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त सद्दाम पुत्र जुमशैद नि0 ग्राम लोदीपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर को गन्देवडा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 13.05 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0- 142/25 धारा- 8/21 एनडीपीएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया की मैं मजदूरी का कार्य करता हूँ। अक्सर मुझे पैसो की कमी रहती है। मैं स्मैक सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्र में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। आज जब मैं स्मैक बेचने जा रहा था तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सद्दाम पुत्र जुमशैद निवासी ग्राम लोदीपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना बेहट सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री करन नागर थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. है0का0 1058 राहुल राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. का0 2556 विशाल बाबू थाना बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक: 16.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त/अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित / वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.04.2025 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त/अभियुक्ता **1.नीरज पुत्र मनोहरपाल गर्ग निवासी म0नं0 354 फ्रैण्डल कालोनी थाना सदर बाजार 2.श्रीमति रजनी गर्ग पत्नी नीरज गर्ग निवासी म0नं0 354 फ्रैण्डल कालोनी थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित परिवार संख्या 1799/2017 धारा 138 एनआई एक्ट एडीशनल कोर्ट सहारनपुर में फ्रैण्डल कालोनी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. नीरज पुत्र मनोहरपाल गर्ग निवासी म0नं0 354 फ्रैण्डल कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. श्रीमति रजनी गर्ग पत्नी नीरज गर्ग निवासी म0नं 354 फ्रैण्डल कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. है0का0 460 प्रमोद राना थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 1007 संदीप थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा फायरिंग की घटना में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 26.02.2025 को श्री सुनील पुत्र ननकूराम निवासी ग्राम खुडाना थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा थाने पर आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र बावत अभियुक्तगण द्वारा उसके परिवारजन पर जान से मारने की नियत से फायर करने व मारपीट करने के सम्बन्ध दिया गया, जिस पर थाना नानौता पर मु0अ0सं0 46/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/333/109/115(2)/352/3(5) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की घटना में वांछित अभियुक्त सागर पुत्र महिपाल निवासी ग्राम खुडाना थाना नानौता जनपद सहारनपुर को खुडाना मोड़ दिल्ली सहारनपुर हाईवे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:- पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि उसके गाँव के ही अन्य व्यक्ति सुनील कुमार पुत्र ननकूराम से पुरानी रंजिश चल रही है। दिनांक 26.02.2025 को मैंने व गांव के रितिक व अन्य साथियों ने सुनील के घर जाकर फायरिंग व मारपीट की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सागर पुत्र महिपाल निवासी ग्राम खुडाना थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री लोकेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री प्रवेश शर्मा थाना नानौता जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 16-04-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में फरार चल रहे 03

वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 04.04.2025 को प्रभारी निरीक्षक कुतुबशेर के मौखिक बयान के आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 94/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम शाहिद उर्फ पूजा किन्नर आदि के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 16.04.2025 को थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1.शमीम उर्फ शमीम अली पुत्र वकील अहमद निवासी ग्राम कैलनपुर थाना सिविल लाईन रूडकी जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड, 2.आरिफ अली पुत्र आवेद अली उर्फ आबिद अली निवासी ग्राम कैलनपुर थाना सिविल लाईन रूडकी जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड व 3. ताहिर उर्फ ताहिर हसन पुत्र इरशाद अहमद निवासी ग्राम कैलनपुर थाना सिविल लाईन रूडकी जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड को ग्राम कैलनपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:-पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोगो द्वारा अपना एक संगठित गिरोह बना रखा है। जिससे हम आर्थिक/भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए लूट, छिनैती व घरों में नकबजनी अथवा चोरी करने जैसे अपराध करते हैं तथा आवश्यकता पडने पर पुलिस पार्टी पर जान से मारने के लिए फायर भी कर देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. शमीम उर्फ शमीम अली पुत्र वकील अहमद निवासी ग्राम कैलनपुर थाना सिविल लाईन रूडकी जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।
2. आरिफ अली पुत्र आवेद अली उर्फ आबिद अली निवासी ग्राम कैलनपुर थाना सिविल लाईन रूडकी जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।
3. ताहिर उर्फ ताहिर हसन पुत्र इरशाद अहमद निवासी ग्राम कैलनपुर थाना सिविल लाईन रूडकी जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शमीम उर्फ शमीम अली:-

1. मु0अ0सं0 192/2024 धारा 452/392/506/307/411/120बी भादवि थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 196/2024 धारा 109 बीएनएस धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आरिफ अली:-

1. मु0अ0सं0 192/2024 धारा 452/392/506/307/411/120बी भादवि थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

2. मु0अ0सं0 196/2024 धारा 109 बीएनएस धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त ताहिर उर्फ ताहिर हसन:-

1. मु0अ0सं0 192/2024 धारा 452/392/506/307/411/120बी भादवि थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 196/2024 धारा 109 बीएनएस धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एच0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 श्री जयवीर सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. है0का0 331 ओमपाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
5. है0का0 960 सचिन, थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
6. है0का0 639 मुकेश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
7. का0 1823 श्रवण थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
8. का0 1215 कपिल गौड थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
9. का0 1808 आशीष थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 16.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नागल पुलिस द्वारा माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन क्लीन" के अन्तर्गत एमवी एक्ट में सीज व लावारिश 19 वाहनों की नीलामी करायी गयी, जिससे कुल 83,000/- रुपये की धनराशि (जीएसटी सहित) का राजस्व प्राप्त किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन क्लीन" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी देवबन्द श्री रविकान्त पराशर, नायब तहसीलदार श्रीमती मोनिका चौहान, सम्भागीय निरीक्षक श्री अमित सैनी के कुशल नेतृत्व में व प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र, उ०नि० श्री बीरबल सिंह, है०मौ० 1027 योगेन्द्र सिंह थाना नागल, सहारनपुर की मौजूदगी में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना नागल पर खड़े **कुल 19 वाहन (एमवी एक्ट में सीज व लावारिश वाहन)** जिनकी आरटीओ कार्यालय द्वारा मूल्यांकन धनराशि 42,600/- रुपये निर्धारित की गई थी। नीलामी की कार्यवाही के अनुसार थाना नागल पर नियमानुसार नीलामी करायी गई। जिसमें कुल 21 बोली दाताओं द्वारा भाग लेकर बोली लगायी गई। **बोली दाता श्री सलीम पुत्र इस्लाम निवासी देवबन्द थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर टोकन नं० 14 द्वारा उच्चतम धनराशि की बोली 83,000/- रुपये लगायी गयी।** उच्चतम बोली दाता के हक में नीलामी छोड़ी गयी। कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त 18 प्रतिशत जी०एस०टी० के साथ कुल धनराशि 97,940/- रु० राजकोष में जमा की जायेगी। नीलामी करा कर **कुल 19 एमवी एक्ट / लावारिश** वाहनों का निस्तारण कराया गया।

नीलामी हुए वाहनों का विवरण:-

➤ 19 वाहन दो पहिया

नीलामी कराने वाली टीम का विवरण:-

1. श्रीमती मोनिका चौहान नायब तहसीलदार देवबन्द, सहारनपुर।
2. श्री रविकान्त पराशर, क्षेत्राधिकारी-देवबन्द, सहारनपुर।
3. श्री अमित सैनी, सम्भागीय निरीक्षक सम्भागीय परिवहन कार्यालय सहारनपुर।
4. श्री रमेश चन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना नागल, जनपद सहारनपुर।
5. उ०नि० श्री बीरबल सिंह थाना नागल सहारनपुर।
6. हैड मोहरीर 1027 योगेन्द्र सिंह थाना नागल सहारनपुर।



दिनांक: 16.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नागल पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में “माल निस्तारण अभियान” के अन्तर्गत जुआ अधिनियम के 32 मुकदमों से संबंधित माल का विनष्टीकरण कर कुल 24540 / रुपये धनराशि को राजकोष में जमा कराया जायेगा।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में माल मुकदमाती निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन क्लीन के तहत माननीय न्यायालय जेएम देवबन्द, सहारनपुर के आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द श्री रवीकान्त पराशर के निकट पर्यवेक्षण में तथा सुश्री मोनिका चौहान नायाब तहसीलदार सदर सहारनपुर व सम्भागीय निरीक्षक श्री अमित सैनी की उपस्थिति में एव प्रभारी निरीक्षक नागल श्री रमेश चन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना नागल पर तैनात है0 मोहर्रिर 1027 योगेन्द्र सिंह द्वारा आज दिनांक 16.04.2025 को जुआ अधिनियम से सम्बन्धित 32 मुकदमों में माल को खुलवाकर कुल धनराशी 24,540/- रुपये को बैंक में जमा कराया जायेगा एव गत्ता पर्चा सट्टा पैन व ताश के पत्तो को जलाकर विनष्टीकरण कराकर कुल 32 मालों का निस्तारण कराया गया।

विनष्टीकरण किये गये जुआ अधि0 के मालो का विवरण:-

➤ 32 माल मुकदमाती जुआ अधिनियम से संबंधित

निस्तारण कराने वाली टीम का विवरण:-

1. सुश्री मोनिका चौहान नायाब तहसीलदार देवबन्द, सहारनपुर।
2. श्री रविकान्त पराशर, क्षेत्राधिकारी-देवबन्द, सहारनपुर।
3. श्री रमेश चन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना नागल, जनपद सहारनपुर।
4. उ0नि0 बीरबल सिंह थाना नागल सहारनपुर।
5. हैड मोहर्रिर 1027 योगेन्द्र सिंह थाना नागल सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना नागल पुलिस द्वारा माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन क्लीन"
के तहत कुल 16 मुकदमों में धारा 16(1) आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित कुल 300
लीटर अवैध शराब (अनुमानित कीमत करीब 60,000/- रुपये) का विनिष्टीकरण किया
गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में थानों पर लम्बित माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन क्लीन" के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी देवबन्द श्री रविकान्त पाराशर के पर्यवेक्षण में माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में श्रीमती मोनिका चौहान (नायब तहसीलदार देवबन्द), श्री अनुज चौहान (आबकारी निरीक्षक) के कुशल नेतृत्व में तथा प्रभारी निरीक्षक नागल श्री रमेश चन्द्र सिंह, उ०नि० श्री बीरबल सिंह, हे०मोहर्रि० 1027 योगेन्द्र सिंह थाना नागल की मौजूदगी में थाना नागल पुलिस द्वारा आज दिनांक 16.04.2025 को आबकारी अधिनियम में कुल 16 मुकदमों से सम्बन्धित 300 लीटर अवैध शराब देशी मार्का (अनुमानित कीमत करीब 60,000/- रुपये) को थाना नागल परिसर में खाली जमीन में जेसीबी से गहरा गड्ढा खुदवाकर समस्त माल को उसमें दबवाकर विनिष्टीकरण कराया गया।

माल निस्तारण कराने वाली टीम का विवरण:-

1. श्रीमती मोनिका चौहान नायब तहसीलदार देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. श्री रविकान्त पाराशर क्षेत्राधिकारी देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. श्री रमेश चन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना नागल, जनपद सहारनपुर।
4. उ०नि० श्री बीरबल सिंह थाना नागल सहारनपुर।
5. हैड मोहर्रि० 1027 योगेन्द्र सिंह थाना नागल सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.04.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा0 न्यायालय
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/मा0 न्यायालय एफटीसी-02 जनपद सहारनपुर द्वारा
हत्या के मामलों में 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 01 लाख हजार रुपये के
अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा -**

अवगत कराना है, कि दिनांक 24.07.2020 को वादी श्री चैनपाल पुत्र वेदप्रकाश निवासी ग्राम मुण्डीखेडी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. देवेन्द्र पुत्र रकम निवासी ग्राम मुण्डीखेडी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर, 2. कपिल पुत्र रतिराम उर्फ राजकुमार नि0 उपरोक्त, 3. दिनेश पुत्र पहल सिंह निवासी उपरोक्त, प्रकाश में आये अभियुक्त 4. प्रताप उर्फ मुकुल पुत्र अनूप सिंह व 5. दीपक उर्फ सैंकी पुत्र मनोज निवासीगण ग्राम घाटेडा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के भतीजे रजत को चाकू मारकर गम्भीर रूप से घायल कर देने की सूचना पर मु0अ0स0-232/20 धारा 307 भादवि थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। ईलाज के दौरान घायल की मृत्यु हो जाने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 302 भादवि की वृद्धि की गयी थी। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-1325/20 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 16.04.2025 को 1.देवेन्द्र पुत्र रकम निवासी ग्राम मुण्डीखेडी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर, 2. कपिल पुत्र रतिराम उर्फ राजकुमार निवासी उपरोक्त, 3. दिनेश पुत्र पहल सिंह निवासी उपरोक्त व प्रकाश में आये अभियुक्त 4. प्रताप उर्फ मुकुल पुत्र अनूप सिंह निवासी घाटेडा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर को मु0अ0स0-232/20 धारा 302,34 भादवि का दोषी पाते हुए चारों अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट:- अभियुक्त दीपक उर्फ सैंकी पुत्र मनोज निवासी ग्राम घाटेडा थाना रामपुर मनिहारण सहारनपुर की मृत्यु हो गयी है।

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री मैनीपाल चौधरी

विवेचक- निरीक्षक श्री छोटे सिंह

पैरोकार का0-2461 अनुग्रह कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक:- 16.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना मण्डी पुलिस द्वारा महिला से पर्स लूट की घटना का सफल अनावरण करते
हुये 01 शातिर लूटेरा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोबाइल (आईफोन), 02
पीली धातु के कुंडल, 02 गले की चैन (पीली धातु), 02 हाथ की घड़ी, 01 मोटर
साइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 12.04.2025 को वादिया श्रीमती सुमायला पत्नि शादाब अंसारी निवासी भारत गैस गौदाम अमन कालोनी कोतवाली देहात सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिया से पर्स छीनकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0154/2025 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/लूटेरे अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.04.2025 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में महिला से पर्स लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुये 01 शातिर लूटेरे/अभियुक्त सावेज पुत्र सलीम निवासी मंशा कालोनी पुराना कलसिया रोड थाना मण्डी सहारनपुर को बाबालाल दास रोड पर मदरसे के पास गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 मोबाइल फोन आईफोन रंग ग्रे कलर, 01 घड़ी चैन वाली, 01 चैन पीली धातु गले की व 02 कान के कुण्डल पीली धातु एवं घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल UP 11 BD 5191 बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुये समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 12.04.2025 को मैंने गौशाला रोड के पास भगत सिंह चौक से पहले एक राह चलती महिला से पर्स छिना था जिसमें एक मोबाइल आईफोन व एक हाथ की घड़ी व एक चैन तथा कानों के दो कुण्डल भी मिले थे तथा वह पर्स मैंने जब ही रास्ते में कहीं फेंक दिया था जो अब मुझे ध्यान नहीं है तथा फोन व कुंडल व घड़ी को आज मैं बेचने के लिए जा रहा था कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सावेज पुत्र सलीम निवासी मंशा कालोनी पुराना कलसिया रोड थाना मण्डी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 मोबाइल फोन (आईफोन) रंग ग्रे कलर
- 01 घड़ी चैन वाली,
- 01 अदद चैन पीली धातु गले की
- 02 कान के कुण्डल पीली धातु
- मो0सा0 UP 11 BD 5191 (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सोलंकी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना मण्डी सहारनपुर
4. है0का0 02 कमल कौशिक थाना मण्डी सहारनपुर
5. का0 1460 अंकित पंवार थाना मण्डी सहारनपुर
6. का0 2102 सुधीर कुमार थाना मण्डी सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को व 01 वर्ष का कारावास व 01 हजार रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:-

अवगत कराना है, कि दिनांक 01.08.2020 को वादी प्रभारी निरीक्षक छोटे सिंह थाना रामपुर मनिहारण जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त देवेन्द्र पुत्र रकम निवासी मुण्डीखेडी थाना रामपुर मनिहारण सहारनपुर के कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होने की सूचना पर मु0अ0स0-238/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मनिहारण जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-1326/20 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 16.04.2025 को 1.देवेन्द्र पुत्र रकम निवासी मुण्डीखेडी थाना रामपुर मनिहारण को मु0अ0स0-238/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट को दोषी पाते हुए अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास व 01 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री मैनीपाल चौधरी

विवेचक-उ0नि0 श्री महेश चन्द ।

पैरोकार का0-2461 अनुग्रह कुमार थाना रामपुर मनिहारण सहारनपुर ।